दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/412 08/08/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के संबंध में - विशेष रुपया वास्ट्रो खातों (एसआरवीए) पर आरबीआई अपडेट

संदर्भ. आरबीआई/2025-2026/71 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 08 दिनांक 5 अगस्त, 2025

हम आपको भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के संबंध में **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** की ओर से एक महत्वपूर्ण नियामक अपडेट से अवगत कराना चाहते हैं।

11 जुलाई, 2022 के **ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के पैरा 10** के अनुसार, और हाल की समीक्षा के आलोक में, आरबीआई ने अब **अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को** निम्नलिखित की **अनुमति दी** है:

भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विदेशी संवाददाता बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलना।

यह निर्णय **तत्काल** प्रभाव से लागू होगा और इसका उद्देश्य भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को और अधिक सुगम बनाना है।

कृपया आरबीआई परिपत्र के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें:

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/PADRNO8E0508202570205EF7D8474AC8AEBED9309413E4BC.PDF

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद